The matter has been thoroughly enquired into and the Enquiry Report does not establish any negligence on the part of the doctors or staff.

शहरों में अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट किया जाना

1765. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न शहरों में कितनी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ पैदा होते हैं;

(ख) इन पदार्थों को नष्ट करने के लिए आधारभूत ढांचे की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ग) क्या अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास हेतु पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में कानून बनाने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्यमंत्री (श्री आर० के० थवन): (क) और (ख) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरी संगठन के पास अध्ययन रिपोर्टों पर आधारित सुलभ जानकारी के अनुसार, अनुमान है कि देश के शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष करीब 25 मिलियन मीट्रिक टन ठोस कचरा होता है। मेट्रो शहरों में सृजित 82.8% कचरा एकत्र कर लिया जाता है, किन्तु पहले और दूसरे दर्जे के शहरों में केवल 59% कचरा ही एकत्र किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी शोध संस्थान (नीरि) , नागपुर, शहरी अपशिष्ट पदार्थ (कचरा) प्रबंधन में शोध व आविष्कार कार्य में लगा है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। तथापि, नगरपालिकाओं बाबत संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के तहत, राज्य विधायिकाओं को यह प्राधिकार है कि वे नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियों और कार्यों से अभिहित करें जिन्हें वे उनके कार्य-निर्वाह में सुधार तथा ठोस कचरा निपटान की स्कीमें सहित विभिन्न म्यूनिसपल स्कीमों के संचालन में समर्थ बनाने के लिये जरूरी समझें।

Construction of Inner circular corridor between Taramani and Villivakkam, Tamil Nadu

1766. SHRI V.P. DURAISAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Tamil Nadu has approached the Central Government to take up Inner Circular Corridor between Taramani and Villivakkam as a jointly funded project; and

(b) if so, by when Government propose to take up this project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH KALMADI): (a) and (b) No such proposal has been received from the Government of Tamil Nadu.

प्रत्येक राज्य में मेडिकल विश्वविद्यालय

1767. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के किन-किन राज्यों में मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं;

(ख) क्या सरकार चिकित्सा की बहु-आयामी पद्धति के परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रत्येक राज्य में एक-एक मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार करेगी; और

(ग) किन-किन राज्यों ने सरकार के पास अपने राज्य में मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं; क्या इन प्रस्तावों की भारतीय चिकित्सा परिषद् ने सिफारिश की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले): (क) आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने राज्य विधान के माध्यम से स्वास्थ्य विज्ञान के विश्वविद्यालयों की स्थापना की है।

(ख) स्वास्थ्य विज्ञानों के विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों का मामला है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।